UPRN180033322022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात ।

प्रार्थना पत्र सं०-532/2022

अ०सं०- 695/2018

सरकार बनाम प्रभू नरायन ।

धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम

व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम

थाना -घाटमपुर, कानपुर नगर ।

दिनांक 21-12-2022

प्रार्थी / वाहन स्वामी प्रभू नारायन राय के द्वारा अ०सं- 695/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना-घाटमपुर, कानपुर नगर के अपराध में निरूद्ध वाहन सं०-UP61T2599 को अपने पक्ष में अवमुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया कि वह वाहन उपरोक्त का पंजीकृत स्वामी है । वाहन उपरोक्त थाने में खड़े खड़े खराब होने की सम्भावना है । अतः वाहन उपरोक्त उसके पक्ष में अवमुक्त किया जाए ।

प्रस्तुत प्रार्थना पर अभियोजन की ओर से कोई उपस्थित नहीं है ।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार वाहन सं०–अ०सं- 695/2018 धारा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम थाना हाजा पर दाखिल है ।

प्रार्थी की ओर से समर्थन मे वाहन उपरोक्त का पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा उसकी छायाप्रति दाखिल की गयी है ।

पंजीयन प्रमाण पत्र के परिशीलन से प्रकट होता है कि वाहन उपरोक्त प्रार्थी प्रभू नारायन राय के नाम से पंजीकृत है । ऐसी स्थिति में यदि दौरान विचारण वाहन उपरोक्त थाने में निरूद्ध रहता है तो उसके तात्विक मूल्य में कमी आने की प्रबल सम्भावना है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अम्बा लाल देशाई बनाम गुजरात राज्य (46) ए०सी०सी० 233 में दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में निम्न शर्त के अधीन दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

1- प्रार्थी / वाहन स्वामी प्रभू नारायन राय द्वारा रू० 7,50,000 /-रुपये (रू० सात लाख पचास हजार मात्र) की प्रतिभू एवं समान धनराशि का मुचलका दाखिल किया जाए तथा इस आशय का अण्डर टेकिंग दाखिल की जाये कि वह उपरोक्त वाहन का दौरान विचारण विक्रय या अन्य व्ययन नहीं करेगा ।

2-उपरोक्त वाहन के रूप रंग एवं स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

3-उपरोक्त वाहन को न्यायालय में तलब करने पर अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा ।

उपरोक्त निर्बन्धनों की पूर्ति प्रार्थी / वाहन स्वामी प्रभू नारायन राय द्वारा पूरा कर दिये जाने

पर थानाध्यक्ष घाटमपुर कानपुर नगर को आदेशित किया जाता है कि वाहन सं० - UP61T2599 का चेचिस व इंजन नं० मिलान करने तथा प्रार्थी / वाहन स्वामी प्रभू नारायन राय का नाम पता ,पहचान सुनिश्चित करने तथा स्वयं के खर्चें पर स्वेत श्याम फोटो कराये जाने के उपरान्त यदि वाहन उपरोक्त किसी अपराध में वांछित न हो तो उसे प्रार्थी / वाहन स्वामी प्रभू नारायन राय के हक में अंतरिम रूपसे सुपुर्दगी में न्यस्त कर दें।

दिनांक 21-12-2022

(अनुराग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात।
I.D.No.UP 3268

Digitally signed by ANURAG
Date: 2018.01.29 00:17:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court